भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2222
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा पर्यटन

2222. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं, किफायती उपचार और कुशल चिकित्सा विशेषज्ञों के कारण चिकित्सा पर्यटन एक तेज़ी से उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाएं हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने और राज्यों के सहयोग से विश्व-स्तरीय चिकित्सा अवसंरचना विकसित करने के लिए कोई विशेष नीति या कार्य-योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चिकित्सा पर्यटन के लिए भारत आने वाले विदेशी रोगियों की संख्या कितनी है, उससे होने वाली आय कितनी है, पिछले तीन वर्षों में मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रमुख उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने 'हील इन इंडिया' पहल के अंतर्गत चिकित्सा पर्यटन को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए चिकित्सा वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र तेजी से विकसित होता हुआ क्षेत्र है, और जिसमें अपार वैश्विक संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/व्यापारिक निकायों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के अस्पतालों की विभिन्न पहलों के माध्यम से इसे विधिवत रूप से व्यवस्थित किया जा रहा है। केंद्र सरकार, अपने विभिन्न पहलों के माध्यम से मुख्य रूप से पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन सहित देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देती है।

विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि विदेशों में भारतीय दूतावासों/विदेशी पोस्टो में आपातकालीन वीजा सेवाएं उपलब्ध हैं और गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन, शीघ्रता पूर्वक चिकित्सा/आयुष वीजा जारी करने हेतु हर संभव प्रयास किया जाता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों द्वारा चिकित्सा वीजा के आपातकालीन मामलों को तत्काल निपटाने के लिए सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है। सभी भारतीय दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों ने ऐसे आपातकालीन मामलों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि ई-मेडिकल वीजा की वैधता 60 दिनों से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है; ई-मेडिकल वीजा पर अनुमत प्रवेशों की संख्या 03 से बढ़ाकर बहुप्रवेश कर दी गई है और ई-मेडिकल वीजा सुविधा का विस्तार 176 देशों के नागरिकों के लिए कर दिया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि भारतीय ई-वीजा व्यवस्था में ई-आयुष (एम3) और ई-आयुष परिचारक (एम4) वीजा के साथ आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न सेवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ नेटहेल्थ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) आदि जैसे निजी हितधारकों के बीच हितधारक परामर्श और समन्वय कार्यकलापों के माध्यम से चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र की सहायता करता है।

गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले 3 वर्षों (दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2025) में चिकित्सा पर्यटन के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है:

वीज़ा श्रेणी	**2023**	**2024**	**2025**	**कुल योग**
आयुष परिचारक वीज़ा (ई)	0	104	475	579
आयुष वीज़ा, आयुष वीज़ा (ई)	0	1054	2321	3375
मेडिकल परिचारक / मेडिकल परिचारक (ई)	15650	18510	22748	56908
मेडिकल वीज़ा/ मेडिकल वीज़ा (ई)	643541	624761	482786	1751088
कुल योग	**659191**	**644429**	**508330**	**1811950**
